न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
विविध पुनरीक्षण वाद संख्या–01/09–10
इमरान अहमद बनाम महफुर्जुर रहमान

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30/12/2016	**आदेश** आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान् सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा विविध वाद संख्या–634/2006 इमरान अहमद बनाम महफुर्जूर रहमान में दिनांक–05.01.2009 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा ने दिनांक–18.03.2009 को तिथि देकर विविध वाद संख्या–02/2005 में निबंधन के पश्चात् आदेश पारित किया जिसके द्वारा अंचलाधिकारी, केवटी द्वारा दिनांक–11.12.2004 को पारित आदेश को विखण्डित करते हुए एक तीसरा केश बनाकर आदेश पारित कर दिया। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक के पिता के नाम जमाबन्दी संख्या–397 वर्ष–1972 से चल रहा था जिसमें दिनांक–05.12.1995 में विपक्षी धोखा देकर अपना नाम भी दर्ज कराकर बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के एक रसीद प्राप्त कर लिया जिसे पूर्ण जाँचोपरांत खारिज किया गया तथा अभिलेख पर उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता के सम्पुष्टि के बाद रद्द किया गया। दिनांक–11.12.2004 को विपक्षी द्वारा एक आवेदन देकर यह कहा गया कि कर्मचारी पैसा माँगते है और नहीं देने पर रसीद नहीं काटते हैं और रसीद कटवाने की कृपा की जाय। वर्ष–1995 में कर्मचारी रसीद काट दिया था, केवल एक कागज पर हस्ताक्षर कराया था जिसका जाँच करने पर अंचल अधिकारी, केवटी विपक्षी द्वारा कर्मचारी पर लगाया गया आरोप असत्य वो निराधार पाया और अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उक्त आरोप पर कोई जाँच नहीं कर एक तीसरा आदेश पारित कर दिया जो आवेदक एवं विपक्षी दोनों पक्षों के कथन से भिन्न है, जो अधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी को सर्वथा प्राप्त नहीं है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक के पिता के नाम वर्ष–1972 से जमाबन्दी चल रही है। हाल सर्वे खाता भी आवेदक के पिता के नाम खुला जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा अन्तर्गत दफा–106 बी0टी0 एक्ट वाद संख्या–3948/1991 दायर किया गया, जो खारिज हो गया। तब पुनरीक्षण वाद संख्या–25/1996 दायर किया वह भी सुनवाई के पश्चात् खारिज हो गया, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा अवर न्यायाधीश, प्रथम, दरभंगा के न्यायालय में अपील वाद संख्या–03/1997 दायर किया गया, जो अवर न्यायाशीश प्रथम, दरभंगा द्वारा आदेश दिनांक–09.10.2007 के द्वारा खारिज कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा उक्त वाद में स्थल जाँच हेतु रखा गया जिसका प्रतिवेदन अभिलेख पर लाना था एवं वाद आदेश हेतु निश्चित भी नहीं था। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने का अनुरोध करते हैं। विद्वान् सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश अपास्त करने योग्य है। अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप करने	

की आवश्यकता नहीं थी और अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा आदेश पारित किया गया है वो वाद से अलग आदेश पारित किया गया है।

अतएव अपीलार्थी द्वारा दायर वाद को स्वीकार करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक–05.10.2009 को अपास्त करते हुए अंचल अधिकारी, केवटी द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०	ह० 3/12/16
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।

ज्ञापांक ______ / जिला विधि, दिनांक ______ /17

प्रतिलिपि :- आदेश की प्रति के साथ निम्न-न्यायालय का अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

ह०—
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि प्रशाखा,
दरभंगा।

ज्ञापांक 61 / जिला विधि, दिनांक 10-01-17

प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी, समाहरणालय को सूचनार्थ निदेश है कि समाहर्त्ता महोदय के वेबसाईट पर अंकित करें।

ह०
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।
09/01/17